



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)


!! परिपत्र !!

क्रमांक :- 08
दिनांक :- 04/08/14

विषय:- मण्डल द्वारा प्रस्तावित / निर्मित / निर्माणाधीन भवनों के मूल्य निर्धारण के संबंध में।

-- 00 --

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न स्थानों में आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रायः देखा गया है कि मण्डल की योजनाओं में पंजीयन आमंत्रण में भवनों के विज्ञापन मूल्यों तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आधिपत्य प्रदान करने के समय अंतिम मूल्य निर्धारण पश्चात् भवनों के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जिससे मण्डल के हितग्राहियों को अतिरिक्त रूप से आर्थिक भार वहन करना पड़ता है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया है कि मण्डल द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे समस्त योजनाओं में निर्मित / निर्माणाधीन / प्रस्तावित भवनों के फिक्सड (स्थिर) मूल्य निर्धारण कर, पंजीयन आमंत्रित किया जावेगा। पंजीयन अवधि में जितने भी भवनों के पंजीयन प्राप्त होंगे, उन भवनों के लिए घोषित स्थिर मूल्य में किसी भी परिस्थिति में भवनों की कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं किया जावेगा। यदि कार्य के निर्माण अवधि या निर्माण पश्चात् भवनों के फिक्सड (स्थिर) मूल्य में वृद्धि होती है या कार्यपालन अभियंता द्वारा पूर्व में प्रेषित मूल्य निर्धारण जिसके आधार पर भवनों का फिक्सड (स्थिर) मूल्य निर्धारण अनुमोदित किया गया है, में त्रुटियाँ / अनियमितता पायी जाती है, जिसके कारण मण्डल को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, तो आर्थिक हानि के लिए संबंधित कार्यपालन अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।


आयुक्त,
418114

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल


रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 2458 /आ.आ./तक.शा.-1/14

रायपुर, दिनांक 04/08/2014

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त-1/11, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग/परि. संभाग -
10. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल।


आयुक्त,

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

रायपुर (छ.ग.)

* * * * *